न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 161/2017 दायरा दिनांक : 01.12.2017

उनवान

नन्दा वल्द बापू उम्र 47 साल, जाति भील, निवासी काली तलाई, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कौशल्या बाई पुत्री बापू पत्नी रूघनाथ सिंह, जाति भील, निवासी ग्राम कांदलखेड़ी, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सईद अहमद अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.08.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या — 1125/2015 निर्णय दिनांक 31.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आर्डर 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी पी सी के तहत रेस्पोडेंट अप्रार्थी संख्या 1 कौशल्याबाई के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश की । अपीलांट प्रार्थी ने अपने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में ग्राम काली तलाई, तहसील पिडावा के खाता संख्या 50/44 की आराजीयात खसरा नम्बर 1, 179,

219, 240, 277, 312, 333, 359, 826/2, 827/177, 832/274, 833/312 कुल 13 किता कुल रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा के सम्बन्ध में अप्रार्थी कौशल्याबाई के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही कि वादग्रस्त आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें और वादग्रस्त आराजी के किसी भाग को खुर्द बुर्द नहीं करें और ऐसा किसी अन्य से नहीं करावें । अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया और दिनांक 22.12.2015 को अप्रार्थी रेस्पोडेंट नम्बर 1 की की ओर से वकालतनामा पेश किया और जवाब के लिए समय चाहा तथा प्रकरण जवाब के लिए दिनांक 09.02.2016 को नियत किया गया और दिनांक 09.02.2016 को कोई जवाब पेश नहीं किया और पत्रावली दिनांक 12.04.2016 के लिए नियत की गई । दिनांक 12.04.2016 को भी जवाब पेश नहीं हुआ और उपखण्ड अधिकारी के दौरे पर रहने से पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 31.05.2016 को नियत की गई । अपीलांट को बिना सूचना के पत्रावली कैम्प कालीतलाई पेश हुई जिसमें अपीलांट एवं अपीलांट के अभिभाषक अनुपस्थित रहे और अपीलांट ने न तो जवाब पेश किया और अपीलांट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध व शून्य एवं गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील पत्र संग्रह पत्रावली एवं खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं दस्तावेजों पर विश्वास नहीं कर त्रुटि की है । जबकि दस्तावेजात से अपीलांट का मामला प्रथम दृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति भी अपीलांट के पक्ष में है । अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट अप्रार्थी नम्बर 1 कौशल्याबाई के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं कर कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील आरबीट्रेरी, परवर्स व केप्रिसियश होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट को समुचित सुनवायी का अवसर, जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी, जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा